भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4731

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2019

यू.जी.सी. के दिशानिर्देश

4731. श्री राजकुमार चाहरः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र द्वारा स्थापित निजी विश्वविद्यालय यू.जी.सी. के नियमों/निदेशों/विनियोग/अधिसूचनाओं/दिशानिर्देशों के द्वारा शासित होते हैं;

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयों को अपने-अपने परिषदों जैसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद या ए.आई.सी.टी.ई. आदि द्वारा तकनीकी शिक्षा/डिग्री के संबंध में उक्त कुछ तरह के शासन/नियम प्रदान किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी विश्वविद्यालय अपने यहां प्रवेश के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से उनके मूल स्थानांतरण दसवीं और बारहवीं के प्रमाण-पत्र और अंकसूची को जमा करने की मांग करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इन संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): जी**,** नहीं। केंद्र सरकार द्वारा किसी भी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। सभी विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य विधायिकाओं के अधिनियम द्वारा की गई है। ये निजी विश्वविद्यालय**,** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और अनुरक्षण) विनियम**,** 2003 द्वारा विनियमित किए जाते हैं।

(ख): यूजीसी विनियम, 2003 के अनुसार, प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय से अपेक्षित है कि वह यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक निकायों जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), भारतीय दंत परिषद् (डीसीआई), भारतीय नर्सिंग परिषद् (आईएनसी), भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई), फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) आदि द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित कार्यक्रमों, संकाय, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता आदि के संबंध में न्यूनतम मानदंडों की पूर्ति करें।

(ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अक्तूबर, 2018 में फीस वापस करने और मूल प्रमाणपत्रों को प्रतिधारित न करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। यूजीसी की अधिसूचना के अनुसार, कोई भी उच्चतर शैक्षिक संस्था जिसमें निजी विश्वविद्यालय भी शामिल है दाखिला फार्म जमा करते समय छात्रों को उनके मूल शैक्षणिक और व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे मार्क शीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र और अन्य ऐसे ही दस्तावेजों को जमा करने के लिए नहीं कहेगा, किंतु इनकी स्व-अधिप्रमाणित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगा।

(घ): किसी विश्वविद्यालय द्वारा मूल प्रमाणपत्र रख लेने से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित विश्वविद्यालय से यूजीसी अधिसूचना के अनुसार इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहता है।

*****